भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1247

11 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत

झारखंड में ई-वाहनों पर राजसहायता

1247. **श्री दुलू महतो:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत झारखंड को ई-बसों, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों की खरीद के लिए कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार सड़क परिवहन वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो झारखंड में उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों या की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): आज तक पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत झारखंड को कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है।.

(ख) और (ग): जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है, जिसे वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। यह नीति झारखंड राज्य सहित पूरे भारत में लागू है और इसका उद्देश्य पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देना है ताकि पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके और स्वच्छ, अधिक ईंधन कुशल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।

(घ): एमएचआई देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तेजी लाने के लिए झारखंड राज्य सहित अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित स्कीम लागू कर रहा है।

I. **भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो)** : सरकार ने 23 सितंबर 2021 को भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए इस स्कीम को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है, जिसका बजटीय परिव्यय ₹25,938 करोड़ है। इस योजना में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

II. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम:** सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावॉट घंटे की एसीसी बैटरियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है ।

III. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेसोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहान्समेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 29 सितंबर 2024 को अधिसूचित कि गयी थी। यह स्कीम दो वर्ष के लिए है जिसका उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता प्रदान करना है।

IV. **पीएम ई-बस सेवा -भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम** : 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

V. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए** 15 मार्च 2024 को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) अधिसूचित की गई थी । इसमें आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए हासिल करना अपेक्षित है।

****